न्यायालय तहसीलदार, अजमेर

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती प्रीति चौहान, तहसीलदार अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 01/2019

श्रीमती हगामी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल पत्नी श्री कुलदीप जाति गर्जुर निवासी ग्राम न्यारा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बिली बेवा स्व0 श्री मांगीलाल आयु 70वर्ष जाति गुर्जर
2. स्व0 श्री कालू पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल विधिक वारिसान
   2.1 नानी बेवा स्व0 श्री कालू आयु 53 वर्ष
   2.2 संजू पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 40 वर्ष
   2.3 मन्जू पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 38 वर्ष
   2.4 गुन्जा पुत्री स्व0 श्री कालू आयु 36 वर्ष ।
3. बीरम पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल आयु 57 वर्ष जाति गुर्जर
4. चतरू पुत्र स्व0 मांगीलाल आयु 51 वर्ष
5. कमला पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल आयु 54 वर्ष
   समस्त निवासीगण ग्राम नोरली तहसील व जिला अजमेर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत नारेली पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

1. श्री ....., अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ....., अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि के वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खाता न0 नया 337 पुरानी 310 खसरा न0 1961 रकबा 00–10–00, ख0न0 1962 रकबा 02–04–10, 1963 रकबा 01–05–05, 1964 रकबा 01–05–05, 1965 रकबा 02–05–00, 1966 रकबा 05–07–10, 1970 रकबा 00–07–10, 1971 रकबा 03–15–03, 1972 रकबा 00–07–02 कुल किता 09 रकबा 23–10–01.10 के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट के पिता मांगीलाल थे। अपीलान्ट के पिता श्री मांगीलाल के देहान्त के बाद विरासती नामा0सं0 290 दिनांक 20.04.2001 तस्दीक किया गया। जिसमें रेस्पोडैट संख्या 01 से 05 का ही नाम दर्ज किया गया।

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट जो कि मांगीलाल की जायन्दा पुत्री है, उन्हें विवादित आराजियात से मरहूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामा0 में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 संख्या 01 से 05 द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामा0 विधिक प्रावधानों के विपरित अपने पक्ष में स्वीकृत करवाये जाने से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील मा0 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर में राजस्व अपील संख्या 10/2019 बउनवान श्रीमती हगामी पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम न्यारा तहसील नसीराबाद बनाम श्रीमती बिली बेवा स्व0 मांगीलाल वगैरह दर्ज करवाई गई। माननीय न्यायालय ने उक्त अपील में अपने निर्णय दिनांक 27.06.2019 के द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आक्षेपीय नामा0 संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, नये सिरे से गुणवगुण पर विधि सम्मत आदेश 60 विस में पारित करें।

मा0 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.06.2019 की पालना में प्रकरण दर्ज किया जाकर सभी पक्षकारान को नोटिस आदि जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से श्री चतरू पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति गुर्जर उपस्थित हुए उनका मुख्य कथन यह था कि पैतृक खातेदारी भूमि में मृतक खातेदार के सभी वारिसान, जाईन्दा पुत्रों एवं पुत्रियों का समान हक अधिकार निहित है। प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट का नाम सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेंट द्वारा अपना लिखित सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया है। जिसमें यह कथन किया गया है कि – उक्त विचाराधीन प्रकरण में यदि अपीलान्ट श्रीमती हगामी पुत्री मांगीलाल को प्रकरण में उल्लेखित ग्राम कायड में स्व0 श्री मांगीलाल पुत्र माधू जाति गुर्जर की खातेदारी भूमि में छटा हिस्सेदार (1/6 हिस्सा) बनाया जाता है तो हम सभी अन्य हिस्सेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः आक्षेपीय नामा0 संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 को निरस्त करते हुए उक्त भूमि में श्रीमती हगामी पुत्री मांगीलाल को भी 1/6 भाग का हिस्सेदार बनाया जावे।

अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर आक्षेपीय नामा0 संख्या 290 दिनांक 20.04.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण में उल्लेखित स्व0 श्री मांगीलाल पुत्र माधू गुर्जर के हिस्से की भूमि में श्रीमती हगामी पुत्री मांगीलाल को भी 1/6 हिस्सेदार बनाया जाकर पटवारी हल्का कायड को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजियात का नियमानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड की प्रति के अविलम्ब प्रस्तुत करावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 6/3/2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार, अजमेर

तहसीलदार अजमेर

Scanned with CamScanner